न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—207 / 2024

प्रार्थीः—

मुकेश अमराराम जी भाटी पुत्र अमराराम भाटी जाति घांची निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मोकलसर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

श्री विक्रम जैन व श्री इमरान खान अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 12.11.2025

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1690 व 2276 / 1692 रकबा 1.7563 व 3.2456 हैक्टेयर भूमि ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आदि में प्रार्थी का वास्तविक नाम "मुकेश अमराराम भाटी पुत्र अमराराम"दर्ज है किन्तु विवादित भूमियों के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम "मूलाराम पुत्र अमराराम" लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ. / 2025 / 1829 दिनांक 08.09.2025 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई । प्रार्थी ने आवेदन पत्र के समर्थन में [illegible] दस्तावेज राशनकार्ड,आधार कार्ड व पेनकार्ड की प्रति पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम "मुकेश अमराराम भाटी पुत्र अमराराम भाटी' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

1690 व 2276/1692 रकबा 1.7563 व 3.2456 ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना में में प्रार्थी का नाम "मुलाराम पुत्र अमराराम " त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, राशन कार्ड व पेनकार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का वास्तविक नाम "मुकेश अमराराम भाटी पुत्र अमराराम भाटी" की तस्दीक होती है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम "मूलाराम पुत्र अमराराम" नाम दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना के खसरा संख्या 1690 व 2276/1692 रकबा 1.7563 व 3.2456 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम "मूलाराम पुत्र अमराराम ' के स्थान पर "मूलाराम उर्फ मुकेश अमराराम भाटी पुत्र अमराराम भाटी" दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। **प्रार्थी द्वारा रहन मुक्त का प्रमाण पत्र अथवा सम्बन्धित बैंक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पश्चात्** ही तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 12.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested